

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालज : उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा

मुकाम : बांसवाड़ा (राज.)

वादी

प्रतिवादी

दिगु वर्गारद

पुना वर्गारद

किस्म मुकदमा-(वाद पत्र) 53, 88, 209 RTA

प्रकरण संख्या- 8 / 20.22

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय एनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11-2-2022	<p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर हांकर पेस । वादी श्रीमती दिगु  <del>पिता</del> <u>व/0 स्व. श्री नाथ</u>            निवासी <u>ग्राम छापरिया गहमल कोवापुरा जिला बांसवाड़ा (राज.)</u>            वाद-पत्र अन्तर्गत धारा <u>53, 88, 209 RTA</u> विरुद्ध            प्रतिवादीगण श्री <u>पुना</u> पिता <u>स्व. श्री रामणा</u>            जाति <u>भील</u> निवासी <u>छापरिया गह. कोवापुरा, कोवापुरा</u>            ... के पेश किया गया । प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी कर पत्रावली            दिनांक <u>10-03-2022</u> को पेश है।</p>	
10-3-22	<p>उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा</p> <p>पत्रावली पेश/वादीगण डाकिबला उपविधि/प्रतिवादीगण            1, 2 की ओर से श्री मुकेश रावत, श्री बिबेक रावत,            श्री मुकेश छिबेरी, श्री मुकेश कनीना, श्री सुनील दुयवत            डाकिबला का डाकिबला पत्र पेश हुआ। जवाब            पेश करने समय चाहा। डाकिबला पत्र शामिल किया            गया। पत्रावली वाले जवाब दिनांक 08-4-2022 को            पेश है।</p>	
8-4-2022	<p>पत्रावली पेश/वकुला उपविधि। जवाब हेतु नाम            चाहा। प्रतिवादीगण से 3 के नाम            जारी सम्मन वाद तामील प्राप्त। नामों के            पत्रावली के शामिल किया। पत्रावली वाले            जवाब दिनांक 09-05-2022 को पेश है।</p>	

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिरीयल एज

नम्बर व तारीख  
अटकम जो इस  
हुक्म की तारीख  
में जारी हुए

09-5-2022

पत्रावली प्रेषण व कुलाम खापीर श्रीमान पी के माहुर  
आप को आपका पत्र के जवाब में पत्रावली पूर्वोक्त शर्तों  
वाले जवाब दिनांक 26-5-2022 को पेश हो गई

26-5-22

पत्रावली पेश हुई व कुलाम उपस्थित पत्रावली  
वाले जवाब आगामी दिनांक 22-6-22 को पेश हो

22-6-22

पत्रावली पेश हुई नादी। परिवारी अभिशापक अनुपस्थित  
स्थापलय समय में नियमित अन्तर्दास में वादी। परिवारी  
विराण अभिशापक को आयाज लगाई गई कि न  
न लो वादी और ना ही परिवारी अभिशापक उपस्थित  
हुए और न ही वादीगण व परिवारी विहीन स्थापलय में  
उपस्थित आए

अतः वाद अन्तर्गत आदेश एवं नियम 03 सीपीसी  
के तहत घोषित किया जाता है। पत्रावली के पक्ष  
शुभार हो नम्बरान से कम की नाकट दारिद्र्य प्रकृत  
हो।

निर्णय मो इतलाम प्रताया गया

परम अधिकारी  
सवाडा (नज.)